फार्म 3 FORM 3

(नियम 54 (12) देखें)

[See Rule 54 (12)] परिवार का विवरण (Details of Family)

सरकारी कर्मचारी का नामः Name of the Government Servant						
पदनामः						
Designa जन्म तिथि						
Date of Birth						
नियुक्ति व	ही तारीखः					
Date of appointment						
दिनांक/ 201को मेरे परिवार* का विवरण निम्नानुसार है:- Details of the members of my family* as on:/201						
क्रम सं.	परिवार* के सदस्यों के		अधिकारी के साथ	कार्यालयाध्यक्ष	अभ्युक्ति	
(Serial	नाम	(Date of		के हस्ताक्षर	3, 1,,	
No.)	(Name of the	Birth)	(Relationship	(Initials of	(Remarks	
,	members of family*)	ŕ	with the officer)	the Head	,	
	- '		,	of Office)		
1	2	3	4	5	6	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि कार्यालयाध्यक्ष को किसी भी प्रकार के संवर्धन अथवा संशोधन की सूचना देते हुए मैं, उक्त जानकारी को अद्यतन रखूंगा / रखूंगी। (I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of the Office any addition or alteration.)						
स्थान (Place)सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर						
दिनांक (D	Pated)			Signature of the Govt. Servant		
* इस प्रयोजन के लिए परिवार से आशय है जैसे कि परिवार की परिभाषा सीसीएस (पेंशन) नियम,						

टिप्पण:- पत्नी तथा पति में क्रमशः न्यायिक रुप से पृथक हुए पत्नी तथा पति शामिल हैं। (NOTE--- Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband.)

¹⁹⁷² के नियम 54 के उप—नियम(14) के खंड (ख) में दी गई है।

^{(*} Family for this purpose means family as defined in Clause (b) of sub rule (14) of Rule 54 of the CCS Pension Rules, 1972.)